कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड , नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49/12/02/2010-रा.भा. **दिनांक** : 12-09-2025

सेवा में,

- बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली।
- सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
- सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
- निदेशक(चिकित्सा), निदेशालय(चिकित्सा), दिल्ली/नोएडा, क.रा.बी.निगम।
- सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
- सभी संकायाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।

विषय : राजभाषा पखवाड़ा आयोजन/समापन समारोह के लिए राशि की संस्वीकृति के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय के दिनांक 04.09.2024 का समसंख्यक पत्र।

महोदया/महोदय,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में, प्रतिवर्ष मुख्यालय सहित क.रा.बी.निगम की सभी इकाइयों में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। पखवाड़ा आयोजन के संबंध में उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्र का संज्ञान लें। निगम इकाइयों को पखवाड़ा आयोजन के लिए, उनके कार्मिकों की संस्वीकृत संख्या के आधार पर राशि निर्धारित की गई थी जो निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	क.रा.बी.निगम इकाई (मुख्यालय, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पताल/महाविद्यालय/रा.प्र.अकादमी, नि.(चि.) दिल्ली)	निर्धारित राशि
1	मुख्यालय के लिए	₹ 40,000/-
2	'ए' ग्रेड के कार्यालयों के लिए (151 या अधिक संस्वीकृत कार्मिक)	₹ 25,000/-
3	'बी' ग्रेड के कार्यालयों के लिए (76-150 संस्वीकृत कार्मिक)	₹ 20,000/-
4	'सी' ग्रेड के कार्यालयों के लिए (1-75 संस्वीकृत कार्मिक)	₹ 17,000/-

उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार सभी इकाइयाँ अपनी संस्वीकृत कार्मिकों की संख्या के आधार पर, तय ग्रेड के अनुसार राजभाषा पखवाड़ा आयोजन के व्यय हेतु राशि की निकासी कर सकती

हैं।

- जिन भिन्न-भिन्न इकाइयों की लेखाकरण (एकाउंटिंग) इकाई एक ही है वहां यथालागू ग्रेड के अनुसार उसी लेखाकरण इकाई द्वारा राशि आहरित की जाए न कि अलग-अलग इकाइयों द्वारा।
- उपर्युक्त राशि में राजभाषा पखवाड़ा संबंधी 04 प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली पुरस्कार राशि शामिल नहीं है।
- समारोह पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च होने पर किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि संस्वीकृत नहीं की जाएगी। अतः व्यय, संस्वीकृत राशि के भीतर ही सीमित रखा जाए।
- शेष राशि (यदि कोई हो) से पुस्तकालय हेतु हिंदी की उपयोगी तथा रोचक पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं ।

राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह के आयोजन पश्चात इसकी रिपोर्ट 10 अक्तूबर, 2025 तक निगम, मुख्यालय को <u>अवश्य</u> भेज दी जाए। संबंधित रिपोर्ट ई-मेल द्वारा **rajbhasha-hq@esic.nic.in** तथा **shyam.kumar@esic.nic.in** पर भेजी जा सकती है।

<u>कृपया इसकी पावती भेजी जाए।</u>

Digitally signed by
Roselin Hemrom
Date: 12-09-2025
14:31:27

(रोजलीन हेमरोम)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:

- निगम की सभी इकाइयों के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक(वित्त)।
- सभी संयुक्त निदेशक(राजभाषा)/उप निदेशक(राजभाषा)/सहायक निदेशक(राजभाषा)/प्रभारी राजभाषा अधिकारी/सभी निगम इकाइयों की राजभाषा शाखा।
- गार्ड फाइल में अनुरक्षण हेतु निगम की सभी राजभाषा शाखाओं/निगम की सभी वित्त एवं लेखा शाखाओं को सूचनार्थ।
- लेखा-3/रोकड़ शाखा, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली।
- वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

सहायक निदेशक(राजभाषा)